जमानत आवेदन संख्या–376 / 2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार दिनांक 18.05.2026

1. त्रिपुरारी झा उर्फ बल्लु पुत्र शिवनाथ झा उर्फ विपिन झा.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार..... विपक्षी

आवेदक की ओर से : श्री धीरज कुमार, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आ दे श

18.05.2026 काराधीन आवेदक / अभियुक्त **1. त्रिपुरारी झा उर्फ बल्लु,** जो दिनांक 13.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, कि ओर से धारा–483 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत अशोक पेपर मिल थाना कांड संख्या–36 / 2025, अन्तर्गत धारा–118(2),324(2),109,3(5) बी0एन0एस0 एवं 27 आर्म्स एक्ट, जो श्री शलभ शर्मा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित हैं, में नियमित जमानत आवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहॉ दाखिल किया गया, जिसे सुनवाई हेतु इस न्यायालय में हस्तानांतरण कर भेजा गया।

2. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री अमरेन्द्र नारायण झा को सुना गया।

3. प्राथमिकी के अनुसार बहुत ही संक्षेप में सूचक के अनुसार मामला यह है कि दिनांक 06.03.2025 को समय रात्रि के 2 बजे लगभग 8 से 10 अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके किराना दुकान श्रवण किराना स्टोर के ताला तोड़ने की कोशिश किया गया। बगल में उसके कपड़ा दुकान में अमित कुमार महथा, श्रवण कुमार, अशोक कुमार सोये हुए थे ताला तोड़ने की आवाज पर वेलोग हल्ला करने लगे। उसी वक्त अचानक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायरिंग की गई जिसका गोली उसके पुत्र अमित कुमार महथा के बाये सीने के पास लग गई तथा उसके प्राईवेट ड्राईवर अशोक कुमार यादव को पैर में गोली लगने से जख्मी हो गया। उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसपर रात्रि गश्ती दल के द्वारा उसके पुत्र अमित कुमार महथा एवं ड्राईवर अशोक कुमार यादव को को डी0एम0सी0एच0 ले जाया गया।

4. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक / अभियुक्त बिलकुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का ए0बी0पी0 सं0 1460 / 2025 दाखिल किया गया था जो दिनांक 10.12.2025 को अस्वीकृत हो गया। इसके बाद आवेदक का अग्रिम जमानत क्री0मिस0 सं0 1169 / 26 माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया जो दिनांक 06.04.2025 को अस्वीकृत हो गया। इसके अलावा आवेदक / अभियुक्त का कोई जमानत आवेदन ना तो किसी उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है और ना ही कोई जमानत आवेदन लंबित है। आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध एक कांड का आपराधिक इतिहास है जिसमें वह जमानत पर हैं। आवेदक / अभियुक्त रौशन कुमार उर्फ राणा के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है। आवेदक / अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक 13.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक / अभियुक्त स्थानीय व्यक्ति है और उनके भागने की कोई संभावना नहीं है तथा न्यायालय के संतुष्टि पर बंध पत्र देने को तैयार है। अतः आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाए।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया तथा जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 18.05.2026**

6. अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इस काण्ड में धारा 118(2),324(2),109, 3(5) बी0एन0एस0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 06 में वादी मनोज महथा, कंडिका 07 में साक्षी अशोक महथा, कंडिका 08 में साक्षी बच्चे लाल पासवान, कंडिका 09 साक्षी श्रवण कुमार महथा का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका 57 में अप्राथमिकी अभियुक्त रौशन कुमार उर्फ राणा का स्वीकारोक्ति बयान उल्लेखित है जिसमें आवेदक / अभियुक्त की घटना में संलिप्ता को स्वीकार किया है। कंडिका 78 में जख्मी अमित कुमार महथा का जख्म जॉच रिपोर्ट उल्लेखित है जिसमें छाती पर फायर आर्म का जख्म पाया गया है जिसकी प्रकृति गंभीर बतायी गई है। आवेदक का ए0बी0पी0 सं0 1460 / 2025 दाखिल किया गया था जो दिनांक 10.12.2025 को अस्वीकृत कया गया। इसके बाद आवेदक का अग्रिम जमानत क्री0मिस0 सं0 1169 / 26 माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया जो दिनांक 06.04.2026 को अस्वीकृत हुआ। अन्य सह–अभियुक्ता रौशन कुमार उर्फ राणा उर्फ गंधर्व कुमार चौधरी का बी0पी0 सं0 976 / 25 विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, दरभंगा द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस काण्ड में अनुसंधान अभी भी जारी है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित अभियोग की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए आवेदक / अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है।

7. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपराध की गंभीरता को देखते हुए, मैं आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना उचित नहीं समझता हूँ। अतः आवेदक / अभियक्त **1. त्रिपुरारी झा उर्फ बल्लु,** का जमानत **अस्वीकृत** किया जाता है। आवेदक अभियुक्त का कारावधि 2 माह पूर्ण होने के उपरान्त या आरोप गठन के पश्चात् जो भी पहले हो, पुनः जमानत की प्रार्थना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित
ह0 / –
(उपेन्द्र कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम,
दरभंगा

Date of Judgment/Order	18-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	18-05-2026
Uploading Date	21-05-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)